[श्री राम विलास पासवान]

बाद भी और हम लोगों द्वारा मंत्री महोदय को व्यक्तिगत पत्र लिखने के बावजूद भी अभी तक ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं हुई है। एफ०सी०आई० के हजारों मजदूर विगत नौ माह से बेकार बैठे हैं। उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न है।

15 hrs.

सब से दुखद स्थिति 20 अगस्त को जम्मू में घटी जब मजदूर अनशन पर बैठे थे और पुलिस की मौजूदगी में ठेकेदार के गुर्दों ने भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों के ऊपर घातक हमला कर दिया। पिस्तौल से घायल मजदूरों में तीन की स्थिति चिन्ताजनक है। आश्चर्य है कि घटना घटने के थोड़ी देर पहले तक 77 मजदूरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह 3-5-78 को फरीदाबाद में खाद्य निगम के मजदूरों पर ठेकेदारों द्वारा गोली चलाई गई जिस में लक्ष्मण नाम का एक मजदूर मारा गया। 21 जुलाई 78 को भी जम्मू में खाद्य निगम के मजदूरों पर गोली चलाई गई थी जिस में कई मजदूर बुरी तरह घायल हुए थे। इस सम्बन्ध में मजदूर यूनियन संबंधित मंत्री एवं प्रधान मंत्री को भी तार द्वारा सूचना दी गई थी। ।

विगत 20 अगस्त को घटना से केन्द्रीय भण्डागार निगम श्रीखला नई दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, अशोक नगर आदि जगहों के मजदूरों में काफी रोष है। ये मजदूर प्राय. अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के सदस्य हैं।

यदि सरकार ने मजदूरों के हित में तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाया ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं की और मजदूरों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी करवाई नहीं की तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

(iv) REPORTED SEARCH OF RESIDENCE OF AN M.P. BY POLICE ON 23-8-1978

श्री कल्याण जैन (इंदौर): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन देश भर में चर्चित मंत्री के पुत्र की रपट पर संसद सदस्य के घर की तलाशी पर प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

संसद सदस्य श्री राम नरेश कुशवाहा के घर को पुलिस ने दिनांक 23 अगस्त 78 को अध्यक्ष की बगैर अनुमति के घेर लिया व उनके घर की तलाशी ली। संसद सदस्य श्री राम नरेश कुशवाह के घर की तलाशी बगैर अध्यक्ष की अनुमति के लेना हमारे मन को भयभीत कर रहा है व इस घटना से संसद सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

समाचार पत्रों की खबरों से यह मालूम हुआ कि संसद् सदस्य के घर की तलाशी किसी फौजदारी अपराध की तहकीकात के तहत की गई थी। गत कई सप्ताह से हिन्दुस्तान के अखबारों में इस प्रकरण व घटना सम्बन्धी समाचार छप रहे हैं।

यह भी समाचारों से ज्ञात हुआ है कि पुलिस द्वारा संसद सदस्य के घर की तलाशी एक मंत्री के लड़के की रपट पर की गई है (व्यवधान)

****

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। जो आप ने लिख कर दिया है उसके अलावा आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

श्री कल्याण जैन संसद् सदस्य के घर से कुछ नहीं मिला ऐसे भी समाचार हैं।

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): Mr. Chairman, Sir, this matter was referred on the floor of this House by

****Not recorded.

Shri Mani Ram Bagri a few days ago. How can the same matter be referred again and again?

MR. CHAIRMAN: I am sorry, I do not know, it has been allowed under Rule 377.

SHRI D. N. TIWARY: I do not think this should be allowed to be raised here again.

MR. CHAIRMAN: The Speaker has allowed it.

श्री कल्याण जैन : सभापति महोदय इस घटना के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को भी जानकारी दे दी गई है. ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं। संसद् सदस्य निडर रह कर अपना संवैधानिक कार्य करते रहें इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रधान मंत्री, गृहमंत्री इस सारी घटना की उच्चस्तरीय जांच करा कर दोषी व्यक्ति को सजा दिलायें व संसद् सदस्यों को भय रहित करें।

PRESS COUNCIL BILL—*Contd.*

Clause 5— (*Composition of the Council*)—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further clause-by-clause consideration of the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the freedom of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers and news agencies in India, as passed by Rajya Sabha.

Shri Banatwalla to continue.

श्री राम अवधेश सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, हमारा भी नियम 377 के अधीन प्रस्ताव है।

सभापति महोदय : जब मैं ने नाम पुकारा तब आप नहीं थे।

श्री राम अवधेश सिंह : : मैंने कई बार लिख कर पूछा कि कब होगा। मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है, आप मुझे अनुमति दें :

सभापति महोदय : मैं नियम के विपरीत काम नहीं कर सकता पहले मैं तो कह नहीं सकता था कि कब आयेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : सभापति जी, दो मिनट लगेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न दो मिनट का नहीं है। बल्कि नियम का है। एक बार जब नाम पुकारा गया और आप उपस्थित नहीं थे तो मैं मजबूर हूं दुबारा फिर नहीं आपको बुला सकता क्योंकि यह प्रथा गलत पड़ जायगी। आपने जैसे कहा मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं नहीं बता सकता कि कब आयेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : आपने कहा 4 बजे तक हो सकता है, कभी भी हो सकता है।

सभापति महोदय : मैं अब अलाऊ नहीं कर सकता।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Sir, I want to make a submission. I, Shri Somnath Chatterjee and Shri Dinen Bhattacharya have tabled one privilege motion against Shri Dhanna Singh Gulshan, State Minister for Education....

MR. CHAIRMAN: How can it be raised now? You must cooperate with the chair. You must follow the rules. I cannot allow this.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDAR: I was directed to send another notice under Rule 115 and I have done that. Please allow me to make a mention here....

MR. CHAIRMAN: Under what rule? I am sorry. I cannot allow.

श्री राम अवधेश सिंह : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था है कि, केवल प्रश्न